राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग (अनुभाग—3)



क्रमांक एफ 1(26) ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011–12/00911 जयपुर, दिनांक 1 – APR 2019 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय एवं मजदूरी दर के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अविध मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत कार्यों का समय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे। कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि कार्य अविध 8 घण्टे मय 1 घण्टे के विश्राम काल के हो। विश्राम काल का प्रावधान नहीं रखने की स्थिति में 7 घण्टे की कार्य अविध निर्धारित की जा सकती है।

जिला स्तर पर इस संबंध में निर्देश आपके द्वारा जारी किये जावे एवं इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जावे कि यदि कोई श्रमिक समूह, समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.03.2019 (प्रति संलग्न) के कम में दिनांक 26.03.2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रूपये 199/ — निर्धारित की गई है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही संपादित कराना सुनिश्चित करें एवं जारी आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह) अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

विशिष्ठ सहायक, मा० उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।

वरिष्ठ उप सिचव, मुख्य सिचव, राजस्थान सरकार।

निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।

संभागीय आयुक्त, समस्त।

निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।

मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारीगण।

 अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

समस्त जिला प्रभारी सचिव।

10. कार्यकम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, ईजीएस, समस्त राजस्थान

11. श्री रिंकु छीपा को ई-मेल वास्ते।

10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

J-11011/1/2019-MGNREGA(RE-III) Govt. of India Ministry of Rural Development Department of Rural Development (MGNREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi Dated the 28 th March, 2019

To The Principal Secretary/ Secretary Department of Rural Development All States/UTs.

Subject: Notification of the revised wage rates under Section 6(1) of the Mahatma Gandhi NREG Act, 2005. for FY 2019-20.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the wage rates fixed under Section 6(1) of the Mahatma Gandhi NREG Act, 2005 for the Financial Year 2019-20. The Government of India Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1424 (A) dated 26 March, 2019, issued on the above subject is enclosed for information and necessary action.

- The Election Commission of India has conveyed "No Objection" to the revision of wage rates in respect of General Election subject to the following condition:-
 - Absolutely no publicity in this regard shall be made in electronic, print, radio, internet (i) or any other media, in any form whatsoever.
 - No political functionary shall make any reference in this regard during any public (ii) speech or communication to the press or public.
 - These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well (iii) as the State Government concerned.
 - The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall (iv) be strictly followed.
 - 3. Copy of the above notification is available on the MGNREGA website www.nrega.nic.in Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Assistant Commissioner (MGNREGA)

Ph. No. 011-23388192 E-mail- motiram@nic.in



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2019/चैत्र 5, 1941

No. 1276]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2019/CHAITRA 5, 1941

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019

का.आ. 1424(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना मं. का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013, का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर

(रु. प्रति दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर रूपयों मे
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	211.00 হ.
2.	अरुणाचल प्रदेश	192.00 হ.
3.	असम	193.00 হ.
4.	बिहार	171.00 হ.
5.	छत्तीसगढ़	176.00 হ.
6.	गोवा	254.00 रु.
7.	गुजरात	199.00 रु.

1873 GI/2019

8.	हरियाणा	284.00 হ.
9.	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र - 185.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र - 231.00 रु.
10.	जम्मू - कश्मीर	189.00 হ.
11.	झारखंड	171.00 হ.
12.	कर्नाटक	249.00 रु.
13.	केरल	271.00 रु.
14.	मध्य प्रदेश	176.00 হ.
15.	महाराष्ट्र	206.00 रु.
16.	मणिपुर	219.00 रु.
17.	मेघालय	187.00 रु.
18.	मिजोरम	211.00 रु.
19.	नागालैंड	192.00 रु.
20.	ओडिशा	188.00 रु.
21.	पंजा ब	241.00 ₹.
22.	राजस्थान	199.00 रु.
23.	सिक्किम	192.00 रु.
24.	तमिलनाडु	229.00 रु.
25.	तेलंगाना	211.00 হ.
26.	त्रिपुरा	192.00 হ.
27.	उत्तर प्रदेश	182.00 হ.
28.	उत्तराखंड	182.00 रु.
29.	पश्चिमी बंगाल	191.00 হ.
		अडंमान जिला
30.	अंडमान और निकोबार	250.00 হ.
30.		निकोबार जिला
pi pi		264.00 হ.
31.	दादरा और नागर हवेली	224.00 হ.
32.	दमण और दीव	202.00रु.
33.	लक्षद्वीप	248.00 रु.
34.	पुडुचेरी	229.00 रु."

² यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. जे.–11011/1/2019-एमजीएनआरईजीए(आर ई-III)] कामरान रिज़वी, संयुक्त सचिव टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

- (i) का.आ. 400(अ), तारीख 13 फरवरी, 2014;
- (ii) का.आ. 2118(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014;
- (iii) का.आ. 890(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
- (iv) का.आ. 1205 (अ), तारीख 23 मार्च, 2016;
- (v) का.आ. 666 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2017; और
- (vi) का.आ. 1406 (अ), तारीख 28 मार्च, 2018.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2019

- **S.O. 1424(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 463(E), dated the 26th February, 2013, namely:—
- 1. In the said notification, for the SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE State-wise wage rate for unskilled manual workers (Rupees per day)

Sl. No.	Name of State/ Union territory	Wage rate in rupees per day
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	Rs. 211.00
2	Arunachal Pradesh	Rs. 192.00
3	Assam	Rs. 193.00
4	Bihar	Rs. 171.00
5	Chhattisgarh	Rs. 176.00
6	Goa	Rs. 254.00
7	Gujarat	Rs. 199.00
8	Haryana	Rs. 284.00
9	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 185.00 Scheduled Areas-Rs.231.00
10	Jammu and Kashmir	Rs. 189.00
11	Jharkhand	Rs. 171.00
12	Karnataka	Rs. 249.00
13	Kerala	Rs. 271.00
14	Madhya Pradesh	Rs. 176.00
15	Maharashtra	Rs. 206.00

16	Manipur	Rs. 219.00
17	Meghalaya	Rs. 187.00
18	Mizoram	Rs. 211.00
19	Nagaland	Rs. 192.00
20	Odisha	Rs. 188.00
21	Punjab	Rs. 241.00
22	Rajasthan	Rs. 199.00
23	Sikkim	Rs. 192.00
24	Tamil Nadu	Rs. 229.00
25	Telangana	Rs. 211.00
26	Tripura	Rs. 192.00
27	Uttar Pradesh	Rs. 182.00
28	Uttarakhand	Rs. 182.00
29	West Bengal	Rs. 191.00
30	Andaman and Nicobar	Andaman District
		Rs. 250.00
		Nicobar District
		Rs. 264.00
31	Dadra and Nagar Haveli	Rs. 224.00
32	Daman and Diu	Rs. 202.00
33	Lakshadweep	Rs. 248.00
34	Puducherry	Rs. 229.00."

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

[F. No. J-11011/1/2019-MGNREGA (RE-III)]

KAMRAN RIZVI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 463(E), dated the 26th February, 2013 and subsequently amended *vide* the following notifications,

- (i) S.O. 400(E), dated the 13th February, 2014;
- (ii) S.O. 2118(E), dated the 22nd August, 2014;
- (iii) S.O. 890(E), dated the 31st March, 2015;
- (iv) S.O. 1205(E), dated the 23rd March, 2016;
- (v) S.O. 666(E), dated the 28th February, 2017; and
- (vi) S.O. 1406(E), dated the 28th March, 2018.

Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.27 10:12:26 +05'30'



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 437/6/CG/ECI/ LET/FUNCT/MCC/2019

Dated: 20th March, 2019

To

Secretary, Government of India, Ministry of Rural Development, MGNREGA Division, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

[Kind Attn.: Sh. R.P. Singh, Director (MGNREGA)]

Subject: -

Application of MCC for the General Election in the country for the Lok Sabha and Legislative Assemblies of four States - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to letter No. J-II011/01/2019-RE-III. dated 14th March, 2019, on the subject cited, and to state that the Commission has no objection from MCC angle to the proposal made therein subject to the following:-

1. Absolutely no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever.

2. No political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.

3. These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well as the State Governments concerned.

4. The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall be strictly followed.

Yours faithfully,

(AVINASH KUMAR) SECRETARY